[2021] 3 उम. नि. प. 153

सूरजदेव महतो

बनाम

बिहार राज्य

[2011 की दांडिक अपील सं. 1677]

4 अगस्त, 2021

मुख्य न्यायमूर्ति एन. वी. रमना, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 364, 34 और 120ख [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 106] – हत्या – अभियुक्तों द्वारा मृतक को अभिकथित रूप से सिनेमा देखने के बहाने फुसलाकर ले जाना और बाद में उसकी हत्या कर देना – पारिस्थितिक साक्ष्य – हेतु – मृतक को अंतिम बार अभियुक्तों के साथ देखा जाना – दोषसिद्धि – जहां साक्षियों का यह साक्ष्य हो कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्तों के साथ देखा गया था और चिकित्सा साक्ष्य से अभियोजन के इस पक्षकथन की संपुष्टि हुई हो कि मृतक की हत्या उस तारीख को की गई थी जब उसे अंतिम बार अभियुक्तों के साथ देखा गया था और इस बात का स्पष्टीकरण न दिया गया हो कि मृतक किन परिस्थितियों में अभियुक्तों से अलग हुआ था तथा मुख्य अभियुक्त का घटना के पश्चात् फरार हो जाना और उसकी बहिन के साथ मृतक के प्रेम संबंध होने के कारण उसका मृतक को समाप्त करने का हेतु होना ऐसी परिस्थितियां हैं जिनकी श्रृंखला युक्तियुक्त संदेह के परे पूर्ण होने पर अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है किंतु सह-अभियुक्त को केवल अंतिम बार मृतक के साथ देखे जाने के आधार पर और घटना से पूर्व का कोई पारिस्थितिक साक्ष्य न होने के कारण उसे संदेह का फायदा देते

हुए दोषमुक्त करना उचित होगा ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अरुण (मृतक) और सुन्दर प्रसाद (अभि. सा. 17) तारीख 5 अप्रैल, 1987 को मनावन गांव में जब अरुण के मकान में थे तब सूरजदेव महतो (अपीलार्थी सं. 1) और राजकुमार अरुण के पास आए और नवादा गांव में उनके साथ सिनेमा देखने जाने के लिए कहा । अरुण ने आरंभ में उनके साथ चलने के लिए आनाकानी की, किंतु वह अंतत: तब सहमत हो गया जब अपीलार्थी सं. 1 ने खर्च वहन करने की इच्छा जाहिर की । अरुण के अनुरोध पर सुन्दर प्रसाद (अभि. सा. 17) भी उनके साथ सिनेमा देखने जाने के लिए सहमत हुआ । शो के पश्चात् राजकुमार और सुन्दर प्रसाद तारीख 6 अप्रैल, 1987 को मनावन गांव लौट आए जबकि अरुण और सूरजदेव महतो उनके साथ वापस नहीं आए । चूंकि अरुण वापस नहीं आया था इसलिए अरुण के पिता ने राजकुमार से पूछताछ की जिसने उसे बताया कि अरुण और सूरजदेव महतो अम्वा गांव में अरुण की ससुराल गए हैं । कुछ और दिन बीत गए और फिर भी अरुण घर वापस नहीं आया, इसलिए अरुण के चिंताग्रस्त परिवार ने राजकुमार को उसे वापस लाने के लिए भेजा । रामजी महतो ने अपने गांव के रहने वाले कैलाश महतो (अभि. सा. 1) को अरुण को ढूंढने के लिए उसके साथ चलने के लिए अनुरोध किया । उन्होंने पाया कि सूरजदेव महतो और अरुण तारीख 6 अप्रैल, 1987 को अरुण की ससुराल गए थे और तारीख 8 अप्रैल, 1987 तक वहां ठहरे थे । यह भी पता चला कि वे दोनों इसके पश्चात् दोप्टा गांव के लिए रवाना हुए थे जहां अपीलार्थी सं. 1 की बहिन का विवाह हुआ था । उसके पश्चात्, अपीलार्थी सं. 1 तारीख 10 अप्रैल, 1987 को अपने गांव मनावन लौट आया किंतु अरुण के ठौर-ठिकाने का अभी तक पता नहीं था । जब अपीलार्थी सं. 1 से पूछा गया तो उसने अरुण के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं दी, इसके बजाय वह भी गायब हो गया और अगले कुछ दिनों तक दिखाई नहीं दिया । चूंकि अरुण का अभी पता नहीं चला था, इसलिए पुलिस को इत्तिला दी गई । इसी बीच, राम बृक्ष पासवान (अभि. सा. 8), चौकीदार ने काकोलत के निकट राम सागर अहर (तालाब) में एक शव पड़ा होने की अफवाह सुनी । वह

तारीख 11 अप्रैल, 1987 को घटनास्थल पर गया और शव को खोज निकाला । उसने शव के निकट एक लोहे का छुरा और दो लूंगियां भी पाईं । घटनास्थल का निरीक्षण करने के उपरांत अतिरिक्त सामग्री जैसे एक जोड़ी चप्पल, एक रूमाल, एक चाकू और एक प्लास्टिक जेरीकेन भी बरामद और अभिगृहीत की गईं । रामजी महतो (अभि. सा. 16) को तारीख 12 अप्रैल, 1987 को सूचना मिली कि गोबिंदपुर थाने द्वारा एक पुरुष का शव लाया गया है । उसके पश्चात्, रामजी महतो उसी गांव के कुछ ग्रामीणों के साथ पुलिस थाने गया और शनाख्त की कि शव उसके पुत्र अरुण का है । इसके पश्चात् ऊपर उल्लिखित तथ्यों के आलोक में अन्वेषण अग्रसर हुआ और पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित करने के उपरांत सूरजदेव महतो (अपीलार्थी सं. 1), प्रकाश महतो (अपीलार्थी सं. 2), चंदो महतो, शंकर महतो और राजकुमार महतो के विरुद्ध एक आरोप पत्र फाइल किया गया । अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित 364, 120ख और 302 के अधीन अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए । विचारण न्यायालय ने साक्षियों के अभिसाक्ष्य की विस्तारपूर्वक संवीक्षा करने के उपरांत चंदो महतो, शंकर महतो और राज कुमार महतो को दोषमुक्त कर दिया, तथापि, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभिलेख पर के पारिस्थितिक साक्ष्य से यह सुझाव मिलता है कि अपीलार्थी सं. 1 ने तारीख 5 अप्रैल, 1987 को मृतक को उसके घर से बाहर ले जाने के लिए फुसलाया था ; पूरे समय उसके साथ रहा था ; इसके पश्चात् तारीख 9 अप्रैल, 1987 को अपीलार्थी सं. 2 उनके साथ सम्मिलित हुआ था ; और उसके पश्चात् वर्तमान अपीलार्थियों ने षड्यंत्र रचा और काकोलत के निकट मृतक की हत्या कर दी । विचारण न्यायालय ने प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को नकारते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि साक्षियों के साक्ष्य और अपराध में आलिप्त करने वाली सामग्री की शनाख्त से अपीलार्थियों की दोषिता सिद्ध होती है और परिणामस्वरूप वर्तमान अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अपीलार्थियों द्वारा अपनी दोषसिद्धि से असंतुष्ट होकर पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निष्कर्षों की

अभिपुष्टि की गई और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और उनके दंडादेश को कायम रखा । अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्च्तम न्यायालय द्वारा अपील भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्ष ने निस्संदेह यह सिद्ध किया है कि मृतक को अपीलार्थियों के साथ अंतिम बार जीवित देखा गया था और उन घटनाओं के बारे में भी साक्ष्य प्रस्तुत किया है जो उसे अंतिम बार देखे जाने से लेकर उसके पश्चात् तक की हैं । अभि. सा. 2, अभि. सा. 3-क, अभि. सा. 16 और अभि. सा. 17 के अभिसाक्ष्यों से यह सुझाव मिलता है कि अंतिम बार देखे जाने के समय से पूर्व मृतक सतत् रूप से अपीलार्थी सं. 1 के साथ था । अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 वे व्यक्ति हैं जिन्होंने तारीख 9 अप्रैल, 1987 को मृतक को अंतिम बार जीवित देखा था और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया था कि उन्होंने मृतक को अपीलार्थियों के साथ देखा था । यद्यपि अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 10 से 14 के अभिसाक्ष्यों के माध्यम से उन घटनाओं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है जो अंतिम बार देखे जाने के समय के पश्चात् घटी थीं । यह दलील कि अधिकांश अभियोजन साक्षी या तो शिकायतकर्ता पक्ष के नातेदार थे या उनके साथ घनिष्ठ संबंध थे और किन्हीं स्वतंत्र साक्षियों द्वारा संपुष्टि के अभाव में उनके परिसाक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता था, इस न्यायालय की राय में, यह दलील बहुत ही सारहीन है । यह सामान्य विधि है कि अभियोजन पक्ष का कार्य वह सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत करना है जो अन्वेषण के दौरान एकत्रित किया जाता है । यद्यपि यह एक आदर्श बात है कि अभियोजन के पक्षकथन को स्वतंत्र साक्षियों के माध्यम से भी सिद्ध किया जाए किंतु प्रत्येक मामले में तृतीय-पक्षकारों की मौजूदगी की प्रत्याशा करना अयुक्तियुक्त होगा । इस न्यायालय ने सतत् रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन के पक्षकथन को मात्र इस कोरे अभिवाक् के आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता है कि सभी साक्षी शिकायतकर्ता पक्ष के नातेदार हैं । अत: स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न कराए जाने के विरुद्ध एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए अवश्य यह भी दर्शित किया जाना चाहिए कि यद्यपि सर्वोत्तम साक्ष्य उपलब्ध

तो था किंतु अभियोजन पक्ष द्वारा इसे विधारित कर लिया गया था । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 3 ने अरुण और अपीलार्थियों को कुंभरावन गांव की सीमा पर देखा था, जबकि अभि. सा. 4 ने अरुण और अपीलार्थियों को अपीलार्थी सं. 2 के मकान के अंदर देखा था । इन साक्षियों में से किसी ने भी मृतक और अपीलार्थियों को किसी सार्वजनिक स्थान पर देखे जाने का दावा नहीं किया था । इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकालना असंगत होगा कि इस घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं था । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 दोनों का अभिसाक्ष्य स्वाभाविक प्रतीत होता है और उनकी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे इस न्यायालय द्वारा उनके परिसाक्ष्यों पर अविश्वास किया जाए । अपीलार्थियों की ओर से काउंसेल ने फिर अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत को प्रश्नगत किया और यह दलील दी कि यदि अभि. सा. 3 के अभिसाक्ष्य को सत्य मान लिया जाए, तो भी उसने अरुण को अपीलार्थियों के साथ तारीख 9 अप्रैल, 1987 को देखा था जो शव की बरामदगी से दो दिन पूर्व की बात थी । अत: यह दलील दी गई कि दो घटनाओं के बीच की मध्यवर्ती समयावधि से किसी तृतीय पक्षकार द्वारा घटना कारित करने की संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसलिए परिस्थितियों की एक सतत् श्रृंखला नहीं थी । जबकि यह दलील पहली बार में आकर्षक प्रतीत होती है किंतु जब इस पर स्वतंत्र साक्षियों, अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8, द्वारा दिए गए परिसाक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाए तो यह पूर्ण रूप से अविश्वसनीय हो जाती है । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि दोनों अपीलार्थियों ने तारीख 9 अप्रैल, 1987 की रात्रि में हत्या कारित की थी । अभि. सा. 8, जिसने तारीख 11 अप्रैल, 1987 को अरुण के शव को ढूंढा था, ने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि उसने पूर्ववर्ती रात्रि में ही शव के बारे में अफवाह सुनी थी, तथापि, अंधेरा और जंगली क्षेत्र होने के कारण वह केवल अगले दिन ही घटनास्थल पर जा सका था । इस बात को देखते हुए कि शव घटनास्थल पर कम से कम तारीख 10 अप्रैल, 1987 से पड़ा था, यह अपराध तारीख 10 अप्रैल, 1987 को या इससे पूर्व कारित किया गया हो सकता है । प्रस्तुत मामले में चिकित्सा साक्ष्य से भी अभियोजन का वृत्तांत सुदृढ़ होता है । अभि. सा. 6, डाक्टर ने मृतक के शव का परीक्षण तारीख 12 अप्रैल, 1987 को किया था । उसकी राय में,

अरुण की मृत्यु होने से लेकर व्यतीत हुआ समय 36 से 72 घंटे का था । इस प्रकार, चिकित्सीय साक्ष्य से अभियोजन पक्ष की इस कहानी की संपुष्टि होती है कि हत्या तारीख 9 अप्रैल, 1987 को हुई थी । हमने यह भी पाया है कि निचले न्यायालयों ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया था और यह अभिनिर्धारित किया था कि मृतक की हत्या वास्तव में तारीख 9 अप्रैल, 1987 को हुई थी । यह न्यायालय प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाने के लिए कोई कारण नहीं पाता है । अपीलार्थियों पर आरोपित हेतु यह है कि उन्होंने मृतक की हत्या इसलिए की थी क्योंकि उसके अभिकथित रूप से अपीलार्थी सं. 1 की बहिन रीटा के साथ अयुक्त संबंध थे । जबकि साक्षियों में से किसी ने भी मृतक के रीटा के साथ संबंध होने के बारे में विनिर्दिष्ट रूप से अभिसाक्ष्य नहीं दिया है, इसलिए अभि. सा. 1, अभि. सा. 3क और अभि. सा. 16 के अभिसाक्ष्य से यथा अभिकथित हेतु की थोड़ी-सी भी संपुष्टि नहीं होती है । अभि. सा. 3क के परिसाक्ष्य से यह प्रकट होता है कि आरंभ में अपीलार्थी सं. 1 और मृतक के परिवार के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे किंतु फरवरी माह के पश्चात् कटु हो गए थे । अभि. सा. 1, जो उसी गांव का निवासी है, ने अभि. सा. 3क के परिसाक्ष्य की संपुष्टि की है । अभि. सा. 16 ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया था कि मृतक के रीटा के साथ अयुक्त संबंध होने के बारे में एक पंचायत बुलाई गई थी । मृतक के अपीलाथी सं. 1 की बहिन के साथ संबंध होने के तथ्य को वास्तव में संदेह के परे सिद्ध नहीं किया गया है किंतु पंचायत बुलाया जाना जिससे कि मुद्दा नियंत्रण से बाहर न हो जाए, ऐसा तथ्य है जिससे यह सुझाव मिलता है कि अपीलार्थी सं. 1 मृतक को समाप्त करने के लिए हेतु रखे हुए था । हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि ये घटनाएं वर्ष 1987 में घटी थीं, जब भारतीय ग्रामीण समाज अपरिवर्तनीय रूप से रूढ़िवादी था और विवाहेत्तर संबंध होने की जरा-सी भी अफवाह तनाव को बढ़ा सकती थी । इन जमीनी हकीकतों पर विचार करते हुए इस न्यायालय की राय में, विचारण न्यायालय ने ठीक ही यह अभिलिखित किया था कि अभियोजन पक्ष द्वारा यथा अभिकथित हेतु को पर्याप्त रूप से साबित किया गया है । इस न्यायालय ने भी यह पाया है कि अपीलार्थियों की ओर से काउंसेल ने हेतु के प्रश्न पर कोई भरपूर चुनौती नहीं दी है और इसलिए इस न्यायालय को हेतु के प्रश्न पर अपीलार्थी सं. 1 के

अभ्यारोपण में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । अब यह न्यायालय अपीलार्थी सं. 1 द्वारा अभि. सा. 1 और अभि. सा. 5 को दी गई मिथ्या सूचना पर संक्षेप में विचार कर सकता है । ये दोनों साक्षी तारीख 10 अप्रैल, 1987 को एक-एक करके अपीलार्थी सं. 1 से मिले थे और उन दोनों ने अरुण के ठौर-ठिकाने के बारे में पूछताछ की थी । अपीलार्थी सं. 1 ने अभि. सा. 1 से झूठ बोला और उसे बताया कि सिनेमा देखने के पश्चात् अरुण अकेला अम्वा चला गया था जबकि अपीलार्थी सं. 2 दोप्टा जाने के लिए चला गया था । यहां तक कि अधिक विचित्र बात यह है कि अपीलार्थी सं. 1 ने अभि. सा. 5 को बताया था कि अरुण दिल्ली चला गया है । इस न्यायालय को यह स्पष्ट हो गया है कि अपीलार्थी सं. 1 द्वारा दी गई मिथ्या सूचना जो तलाशी के प्रयास किए जा रहे थे उनको भटकाकर अपनी दोषिता को छिपाने के लिए एक प्रयत्न था । अपीलार्थी सं. 1 उसके पश्चात् फरार हो गया था और केवल प्रपीड़क उपाय करने के पश्चात् ही न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण किया था । इस प्रकार, यह न्यायालय राज्य की ओर से काउंसेल की इस दलील से सहमत है कि अपीलार्थी सं. 1 द्वारा दी गई मिथ्या सूचना और घटना के पश्चात् का उसका आचरण अपराध में आलिप्त करने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी को साबित करने के लिए सुसंगत है । (पैरा 31, 32, 33, 34, 39, 40 और 41)

यहां, तथापि, प्रकाश महतो (अपीलार्थी सं. 2) के विरुद्ध आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य में एक गुणात्मक फर्क है । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि वह अपीलार्थी सं. 1 था, जिसने मृतक को फुसलाया था और उसे उक्त अपीलार्थी के साथ सिनेमा देखने के लिए मनाया था । यह न तो अभियोजन का पक्षकथन है और न ही अभियोजन साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी सं. 2 तारीख 5 अप्रैल, 1987 को मृतक का उसके मकान से फुसलाकर अपहरण करने में अंतर्ग्रस्त था । इसे अपराध के पीछे के हेतु के संदर्भ में देखा जाना चाहिए । यह अभिलेख पर साबित है कि अपीलार्थी सं. 1 का अभियुक्त के विरुद्ध अपना स्वार्थ था, जिसके अभिकथित रूप से उसकी बहिन के साथ अयुक्त संबंध थे । ऐसा कोई अभिकथित हेतु नहीं है या साबित नहीं

किया गया है जिसने अपीलार्थी सं. 2 को मृतक की हत्या कारित करने के लिए प्रभावित किया होता । इसके अतिरिक्त भी, अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था कि तारीख 8 अप्रैल, 1987 को या इससे पूर्व अपीलार्थी सं. 1 और अपीलार्थी सं. 2 के बीच किसी प्रकार का मस्तिष्कों का मिलन था या यह कि उन्होंने अरुण की हत्या करने के लिए एक-साथ कोई षड्यंत्र रचा था । अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं है जिससे यह सुझाव मिलता हो कि अपीलार्थी सं. 1 ने मृतक अरुण की हत्या करने के लिए अपने आशय को अपीलार्थी सं. 2 को प्रकट किया था । यह सही है कि अभियोजन पक्ष ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है उसमें अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के कथन समाविष्ट हैं, जिन्होंने मृतक को तारीख 9 अप्रैल, 1987 को अंतिम बार अपीलार्थी सं. 1 और अपीलार्थी सं. 2 के साथ जीवित देखा था । तथापि, जब तक अंतिम बार देखे जाने की कहानी को घटनाओं की अटूट श्रृंखला का गठन करने के लिए अन्य पारिस्थितिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता है, दोषसिद्धि केवल इस आधार पर आधारित नहीं हो सकती है कि अपीलार्थी सं. 2 भी उस समय अपीलार्थी सं. 1 के साथ था जब वे तारीख 9 अप्रैल, 1987 को एक-साथ देखे गए थे । यह उल्लेख करना आवश्यक है कि घटनास्थल से अपराध में आलिप्त करने वाली कुछ सामग्री, जिसमें एक जोड़ी चप्पल, एक रूमाल, एक चाकू, जैरीकेन और दो लुंगियां अंतर्विष्ट हैं, पाई गई थीं और इन्हें अभिगृहीत किया गया था । जबकि अभि. सा. 16 अर्थात् मृतक के पिता ने अभिगृहीत लुंगियों में से एक लुंगी की शनाख्त अपीलार्थी सं. 1 की होने के रूप में की थी, किंतु बरामद की गई वस्तुओं में से किसी का आरोपण अपीलार्थी सं. 2 पर नहीं किया गया है । अपीलार्थी सं. 2 के विरुद्ध एकमात्र सारभूत साक्ष्य यह है कि वह भी तारीख 9 अप्रैल, 1987 को मृतक और अपीलार्थी सं. 1 के साथ था अर्थात् वे अंतिम बार एक-साथ देखे गए थे । यदि हम यह उपधारणा भी करें कि तारीख 9 अप्रैल, 1987 की रात्रि में अपीलार्थी सं. 2 की शनाख्त करने का अभि. सा. 12 का अभिसाक्ष्य सही है, तो भी ऐसे साक्ष्य से मृतक की हत्या कारित करने में अपीलार्थी सं. 2 की अंतर्ग्रस्तता के संबंध में एक प्रबल संदेह पैदा हो सकता है, किंतु फिर उसकी दोषिता को किसी संदेह के परे साबित करने के लिए मात्र संदेह

को अकाट्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी सं. 1 के विरुद्ध प्रस्तुत घटना के पश्चात् का पारिस्थितिक साक्ष्य है, अर्थात् उसने मृतक के ठौर-ठिकाने को प्रकट नहीं किया था और इसके पश्चात् वह अचानक न्यायालय में अभ्यर्पण किए जाने तक घटनास्थल से गायब हो गया था । टालमटोल करने या घटना के पश्चात् फरार हो जाने के संबंध में ऐसा कोई अभिकथन अपीलार्थी सं. 2 के विरुद्ध नहीं किया गया है । इस प्रकार, जहां तक अपीलार्थी सं. 2 का संबंध है, अभियोजन के पक्षकथन में की कड़ियां गायब हैं । परिणामत: और पूर्व उल्लिखित कारणों से, हमारा यह निष्कर्ष है कि प्रकाश महतो (अपीलार्थी सं. 2 का मामला सूरजदेव महतो अपीलार्थी सं. 1) के मामले से प्रभेदनीय है और अभियोजन पक्ष अपीलार्थी सं. 2 की दोषिता को संदेह के परे साबित करने में समर्थ नहीं रहा है । इस प्रकार, अपीलार्थी सं. 2 संदेह के फायदे का हकदार है । (पैरा 42, 43, 44 और 45)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2021]	(2021) एस. सी. सी. ऑन लाइन एस. सी. 134 : **आर. दामोदरन** बनाम **राज्य, पुलिस निरीक्षक की मार्फत** ;	27
[2020]	(2020) 3 एस. सी. सी. 747 : **मोहम्मद यूनुस अली तरफदार** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ;	27
[2018]	(2018) 6 एस. सी. सी. 610 : **सतपाल** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	29
[2012]	(2012) 10 एस. सी. सी. 489 : **अबुज़ार हुसैन** उर्फ **गुलाम हुसैन** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ;	20
[2011]	(2011) 5 एस. सी. सी. 509 : **पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु** बनाम **जॉन डेविड** ;	21

[2006] (2006) एस. सी. सी. 584 :
रविन्द्र सिंह गोरखी बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 23

[2006] (2006) 12 एस. सी. सी. 254 :
राजस्थान राज्य बनाम **काशी राम** ; 21

[2003] (2003) 5 एस. सी. सी. 746 :
मल्खान सिंह बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 22

[1999] (1999) 9 एस. सी. सी. 507 :
सुखड़ बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 22

[1985] [1985] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116 :
सरद बिरधीचंद शारदा बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 27

[1981] (1981) सप्ली. एस. सी. सी. 1 :
बदरुद्दीन रुकन्द्दीम कारकुडे बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । 22

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 1677.

1988 की दांडिक अपील सं. 273 में पटना उच्च न्यायालय के तरीख 20 मई, 2010 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सुश्री प्रेरणा सिंह और श्री टी. महिपाल

प्रत्यर्थी की ओर से श्रीमती बिहु शर्मा, सुश्री प्रतिष्ठा विज और श्री अक्षय श्रीवास्तव

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने दिया ।

न्या. कांत – सूरजदेव महतो (अपीलार्थी सं. 1) और प्रकाश महतो (अपीलार्थी सं. 2) ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 20 मई, 2010 को पारित किए गए उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसके द्वारा तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, नवादा द्वारा तारीख 13 मई, 1998 को पारित उनकी दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश की पुष्टि की गई थी । दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 120ख के साथ

पठित धारा 302 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है और प्रत्येक अपराध के लिए आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी सं. 1 को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया है और उक्त अपराध के लिए पांच वर्ष के कारावास का दंडादेश दिया गया है और यह निदेश दिया गया है कि दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।

तथ्य

2. अभियोजन का पक्षकथन संक्षेप में यह है कि अरुण (मृतक) और सुन्दर प्रसाद (अभि. सा. 17) तारीख 5 अप्रैल, 1987 को मनावन गांव में जब अरुण के मकान में थे तब सूरजदेव महतो (अपीलार्थी सं. 1) और राजकुमार अरुण के पास आए और नवादा गांव में उनके साथ सिनेमा देखने जाने के लिए कहा । अरुण ने आरंभ में उनके साथ चलने के लिए आनाकानी की, किंतु वह अंततः तब सहमत हो गया जब अपीलार्थी सं. 1 ने खर्च वहन करने की इच्छा जाहिर की । अरुण के अनुरोध पर सुन्दर प्रसाद (अभि. सा. 17) भी उनके साथ सिनेमा देखने जाने के लिए सहमत हुआ । शो के पश्चात् राजकुमार और सुन्दर प्रसाद तारीख 6 अप्रैल, 1987 को मनावन गांव लौट आए जबकि अरुण और सूरजदेव महतो उनके साथ वापस नहीं आए । चूंकि अरुण वापस नहीं आया था इसलिए रामजी महतो (अरुण का पिता, अभि. सा. 16) ने राजकुमार से पूछताछ की जिसने उसे बताया कि अरुण और सूरजदेव महतो अम्वा गांव में अरुण की ससुराल गए हैं ।

3. कुछ और दिन बीत गए और फिर भी अरुण घर वापस नहीं आया, इसलिए अरुण के चिंताग्रस्त परिवार ने राजकुमार को उसे वापस लाने के लिए भेजा । रामजी महतो ने अपने गांव के रहने वाले कैलाश महतो (अभि. सा. 1) को अरुण को ढूंढने के लिए उसके साथ चलने के लिए अनुरोध किया । उन्होंने पाया कि सूरजदेव महतो और अरुण तारीख 6 अप्रैल, 1987 को अरुण की ससुराल गए थे और तारीख 8 अप्रैल, 1987 तक वहां ठहरे थे । यह भी पता चला कि वे दोनों इसके पश्चात् दोप्टा गांव के लिए रवाना हुए थे जहां अपीलार्थी सं. 1 की बहिन

का विवाह हुआ था । उसके पश्चात्, अपीलार्थी सं. 1 तारीख 10 अप्रैल, 1987 को अपने गांव मनावन लौट आया किंतु अरुण के ठौर-ठिकाने का अभी तक पता नहीं था । जब अपीलार्थी सं. 1 से पूछा गया तो उसने अरुण के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं दी, इसके बजाय वह भी गायब हो गया और अगले कुछ दिनों तक दिखाई नहीं दिया । रामजी के अनुरोध पर अभि. सा. 1 तारीख 10 अप्रैल, 1987 को दोप्टा गया किंतु वह भी अरुण का पता लगाने में असमर्थ रहा । चूंकि अरुण का अभी पता नहीं चला था, रामजी महतो ने अपने भतीजे ईश्वरी महतो (अभि. सा. 3-क) के माध्यम से पुलिस को इत्तिला भेजी जिसके आधार पर तारीख 11 अप्रैल, 1987 को सन्हा प्रविष्टि सं. 227 दर्ज की गई ।

4. इसी बीच, राम बृक्ष पासवान (अभि. सा. 8), चौकीदार, सर्किल सं. 7 ने काकोलत के निकट राम सागर अहर (तालाब) में एक शव पड़ा होने की उड़ती हुई खबर सुनी । वह तारीख 11 अप्रैल, 1987 को घटनास्थल पर गया और शव को खोज निकाला । उसने शव के निकट एक लोहे का छुरा और दो लूंगियां भी पाईं । उसके पश्चात् पुलिस द्वारा राम बृक्ष पासवान का कथन अभिलिखित किया गया और इसे एक फर्दब्यान के रूप में समझा गया । उसके पश्चात् रामचंद्र सिंह (अभि. सा. 18), भारसाधक अधिकारी, गोबिन्द पुर पुलिस थाना घटनास्थल पर गया और साक्षियों की मौजूदगी में मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट तैयार की । घटनास्थल का निरीक्षण करने के उपरांत अतिरिक्त सामग्री जैसे एक जोड़ी चप्पल, एक रूमाल, एक चाकू और एक प्लास्टिक जेरीकेन भी बरामद और अभिगृहीत की गईं । साक्षियों की मौजूदगी में एक अभिग्रहण सूची तैयार की गई । इसके पश्चात् शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेजा गया ।

5. रामजी महतो (अभि. सा. 16) को तारीख 12 अप्रैल, 1987 को सूचना मिली कि गोबिंदपुर थाने द्वारा एक पुरुष का शव लाया गया है । उसके पश्चात्, रामजी महतो उसी गांव के कुछ ग्रामीणों के साथ पुलिस थाने गया और शनाख्त की कि शव उसके पुत्र अरुण का है ।

6. इसके पश्चात् ऊपर उल्लिखित तथ्यों के आलोक में अन्वेषण

अग्रसर हुआ और पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित करने के उपरांत सूरजदेव महतो (अपीलार्थी सं. 1), प्रकाश महतो (अपीलार्थी सं. 2), चंदो महतो, शंकर महतो और राजकुमार महतो के विरुद्ध एक आरोप पत्र फाइल किया गया । मामला तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, नवादा के न्यायालय को सुपुर्द किया गया और अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित 364, 120ख और 302 के अधीन अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए । अभियुक्त व्यक्तियों ने अपनी दोषिता से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

7. पारिणामिक विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा 18 साक्षियों की परीक्षा की गई । अभियोजन पक्ष द्वारा किसी दस्तावेजी साक्ष्य का अवलंब नहीं लिया गया । अभियोजन का पक्षकथन मुख्य रूप से पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित था, जिसमें रामजी महतो (अभि. सा. 16), मृतक का पिता का अभिसाक्ष्य सम्मिलित था । अभि. सा. 16 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह अभिकथन किया कि सूरजदेव महतो (अपीलार्थी सं. 1) ने तारीख 5 अप्रैल, 1987 को सिनेमा देखने के बहाने मृतक को फुसलाया था । अभि. सा. 16 ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि "अरुण ने उसे बताया था कि वह जाने के लिए तैयार नहीं था । सूरजदेव महतो ने उसे कहा था कि वह खर्च वहन करेगा । उसके पश्चात् सूरजदेव द्वारा दबाव डालने के कारण अरुण सूरजदेव, राजकुमार और सुन्दर के साथ गया था" । अभि. सा. 16 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसके कहने पर ही ईश्वरी महतो (अभि. सा. 3-क) ने अरुण के गायब हो जाने के बारे में तारीख 11 अप्रैल, 1987 को पुलिस थाने गया था और इत्तिला दी थी और तारीख 12 अप्रैल, 1987 को वह गोबिंदपुर पुलिस थाने गया था तथा अरुण के शव की शनाख्त की थी । अभि. सा. 16 ने सूरजदेव महतो (अपीलार्थी सं. 1) की अभिगृहीत की गई लुंगियों में से एक की भी शनाख्त की थी । अभि. सा. 16 की प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त व्यक्तियों के समझे जा सकने वाले हेतु को भी प्रकाश में लाया गया : मृतक के अपीलार्थी सं. 1 की बहिन के साथ अयुक्त संबंध को लेकर हुई एक पंचायत (गांव की सभा) के पश्चात् पक्षकारों के बीच तनातनी थी ।

8. इसी प्रकार, ईश्वरी महतो (अभि. सा. 3-क) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने तारीख 5 अप्रैल, 1987 को अरुण को अंतिम बार अपीलार्थी सं. 1, राजकुमार और सुन्दर के साथ देखा था और अपीलार्थी सं. 1 द्वारा उसे यह सूचित किया गया था कि वे सिनेमा देखने के लिए जा रहे हैं । ईश्वरी महतो ने पक्षकारों के बीच दुश्मनी की बात पर भी प्रकाश डाला और उसने यह कथन किया कि "पहले सूरजदेव और अरुण के परिवारों में आना-जाना और आपस में खाने पर आने-जाने के संबंध थे किंतु माघ माह के पश्चात् यह संबंध बंद हो गया था" । सुन्दर प्रसाद (अभि. सा. 17) ने अभि. सा. 16 के अभिसाक्ष्य की पुष्टि की और यह कथन किया कि अपीलार्थी सं. 1 ने अरुण पर उसके और राजकुमार के साथ सिनेमा देखने जाने के लिए दबाव डाला था । अभि. सा. 17 ने अपीलार्थी सं. 1, अरुण और राजकुमार के साथ सिनेमा जाने के बारे में भी अभिसाक्ष्य दिया और यह भी प्रकट किया कि सिनेमा के पश्चात् अपने गांव वापस आने की बजाय अपीलार्थी सं. 1 ने इस समूह पर कुंभरावन गांव जाने के लिए दबाव डाला था । अभि. सा. 17 ने यह कथन किया कि अपीलार्थी के जोर देने पर उन्होंने प्रकाश महतो (सूरजदेव के जीजा) के मकान पर एक रात व्यतीत की थी । अगले दिन अर्थात् तारीख 6 अप्रैल, 1987 को जब अभि. सा. 17 ने वापस गांव जाने की बात पर जोर दिया तो सूरजदेव महतो (अपीलार्थी सं. 1) ने उसे कहा कि वह और अरुण अम्वा गांव जाएंगे ।

9. अरुण के ससुर दिलकेश्वर महतो (अभि. सा. 2) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अरुण और अपीलार्थी सं. 1 तारीख 6 अप्रैल, 1987 की सायंकाल में अम्वा गांव में उसके मकान पर आए थे और तारीख 8 अप्रैल, 1987 तक वहां ठहरे थे । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि "बुधवार को मैंने अरुण और सूरजदेव को जोर देकर और आगे रुकने के लिए कहा था किंतु सूरजदेव सहमत नहीं हुआ और अरुण को यह कहते हुए अपने साथ ले गया कि उन्हें दोप्टा जाना है" ।

10. बिपत महतो (अभि. सा. 4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वीरवार अर्थात् तारीख 9 अप्रैल, 1987 को उसे अपने पौत्र से यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि अरुण कुंभरावन गांव में है और प्रकाश महतो

(अपीलार्थी सं. 2) के मकान में ठहरा है । चूंकि अभि. सा. 4 अरुण का चाचा है और उसी गांव में ही रह रहा है, वह और उसकी पत्नी अपने निवास पर अरुण को आमंत्रित करने के लिए गई थी । उसने यह कथन किया कि "हम अरुण, प्रकाश और सूरजदेव से उस स्थान पर मिले । मैंने अरुण को मेरे निवास पर आने और भोजन करने के लिए आमंत्रित किया । प्रकाश ने मुझे कहा कि उसने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की है । इसलिए वे भोजन करने के पश्चात् उसके निवास पर जाएंगे" । उसने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी सं. 2 के आश्वासन के बावजूद अरुण उनके निवास पर नहीं आया था । बाद में, जब अभि. सा. 4 की पत्नी पुन: अरुण को बुलाने के लिए गई तो अपीलार्थी सं. 2 की पत्नी द्वारा उसे सूचित किया गया कि अरुण वापस चला गया है । शियोदनी महतो (अभि. सा. 3), जो अभि. सा. 4 का पुत्र और मृतक का चचेरा भाई है, ने भी तारीख 9 अप्रैल, 1987 को कुंभरावन गांव में अरुण के मौजूद होने के बारे में अभिसाक्ष्य दिया था । उसके अनुसार, जब वह गांव वापस जा रहा था, तब उसने गांव की सीमा पर अरुण को सूरजदेव, प्रकाश, राजकुमार और शंकर के साथ देखा था और उनसे यह पूछने पर कि वे कहां जा रहे हैं, सूरजदेव ने अभि. सा. 3 को यह बताया कि वे सभी काकोलत गांव की ओर जा रहे हैं ।

11. अब हम भरत सिंह (अभि. सा. 10), काशी महतो (अभि. सा. 11), राम प्रसाद (अभि. सा. 12), बालेश्वर प्रसाद (अभि. सा. 13) और मथुरा साव (अभि. सा. 14) के कथनों पर विचार कर सकते हैं । अभि. सा. 10 और अभि. सा. 11 ने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि तारीख 9 अप्रैल, 1987 की रात्रि में उन्होंने काकोलत की दिशा में जाते हुए एक मोटर यान (ट्रैक्टर) की आवाज सुनी थी, तथापि, अभि. सा. 10 और अभि. सा. 11 ने इस यान में यात्रियों को नहीं देखा था । अभि. सा. 12, अभि. सा. 13 और अभि. सा. 14 तारीख 9 अप्रैल, 1987 को रात्रि में अभि. सा. 14 की दुकान के निकट मौजूद थे और उन्होंने दो व्यक्तियों को काकोलत से लौटते हुए देखने के बारे में अभिसाक्ष्य दिया था । अभि. सा. 12 ने आगे अभिसाक्ष्य देते हुए यह कथन किया कि वह उन व्यक्तियों की शनाख्त कर सकता है जो अभि. सा. 14 की दुकान के

निकट रुके थे । न्यायालय में अभियुक्त व्यक्तियों को देखने के उपरांत अभि. सा. 12 ने अपीलार्थी सं. 2 की उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के रूप में शनाख्त की थी जो उस रात्रि में दुकान पर आया था । अभि. सा. 12 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि पुलिस ने उसे शनाख्त परेड में भाग लेने के लिए नहीं कहा था । यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस सारे साक्ष्य की सुसंगतता केवल इसलिए हो जाती है क्योंकि अरुण का शव राम सागर अहर से खोजा गया था जो कि काकोलत गांव के निकट है ।

12. कैलाश महतो (अभि. सा. 1) और उमेश्वर प्रसाद (अभि. सा. 5) के साक्ष्य की भी अभियोजन के पक्षकथन से कुछ सुसंगतता है । अभि. सा. 1 ने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि तारीख 9 अप्रैल, 1987 को अभि. सा. 16 द्वारा उसे अरुण की तलाश करने के लिए अनुरोध किया गया था । उसने यह भी कथन किया कि अगले दिन अर्थात् तारीख 10 अप्रैल, 1987 को वह बाजार गया था और वहां उसने अपीलार्थी सं. 1 को पाया था । अभि. सा. 1 ने यह दावा किया है कि जब उसने उससे अरुण के ठौर-ठिकाने के बारे में पूछताछ की तो सूरजदेव महतो (अपीलार्थी सं. 1) ने उसे यह कहा कि सिनेमा देखने के पश्चात् अरुण अम्वा गांव चला गया था जबकि वह दोप्टा गांव गया था । अभि. सा. 5 ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह तारीख 10 अप्रैल, 1987 को बर्नवाल मेडीकल हाल, हिसुआ में सूरजदेव से मिला था जहां अपीलार्थी सं. 1 ने उसे यह कहा था कि अरुण दिल्ली गया है ।

13. राम बृक्ष पासवान (अभि. सा. 8), चौकीदार, सर्किल सं. 9 वह व्यक्ति है, जिसने तारीख 11 अप्रैल, 1987 को अरुण के शव को ढूंढा था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया था कि उसने तारीख 10 अप्रैल, 1987 की रात्रि में ही राम सागर अहर में एक शव पड़ा होने की एक उड़ती हुई खबर सुनी थी, तथापि, रात्रि का समय होने के कारण और वह स्थान एक जंगली क्षेत्र होने के कारण वह वहां अगले दिन ही जा सका था । अभि. सा. 6 वह डाक्टर है, जिसने शव की मरणोत्तर परीक्षा की थी । मृतक के शव पर मौजूद क्षतियों की परीक्षा करने के उपरांत अभि. सा. 6 ने यह राय व्यक्त की थी कि क्षतियां

प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं और मृत्यु होने से लेकर व्यतीत हुआ समय 36 से 72 घंटे का है ।

14. अभियुक्त व्यक्तियों का पक्षकथन, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन किए गए उनके कथनों में अभिलिखित है, इनकारी का है । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था ।

15. विचारण न्यायालय को इस तथ्य का भान था कि पारिस्थितिक साक्ष्य के द्वारा अभियुक्तों की दोषिता को साबित करने के लिए साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए जिससे कि अभियुक्तों की निर्दोषिता की सभी परिकल्पना अपवर्जित हो सके । विचारण न्यायालय ने साक्षियों के अभिसाक्ष्य की विस्तारपूर्वक संवीक्षा करने के उपरांत यह मत व्यक्त किया कि उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की कमी है, जिनमें मृतक की मृत्यु हुई थी और अभिलेख पर का साक्ष्य चंदो महतो, शंकर महतो और राज कुमार महतो की सहापराधिता को सिद्ध करने के लिए कम पड़ता है । तथापि, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभिलेख पर के पारिस्थितिक साक्ष्य से यह सुझाव मिलता है कि अपीलार्थी सं. 1 ने तारीख 5 अप्रैल, 1987 को मृतक को उसके घर से बाहर जाने के लिए फुसलाया ; पूरे समय उसके साथ रहा ; इसके पश्चात् तारीख 9 अप्रैल, 1987 को अपीलार्थी सं. 2 उनके साथ सम्मिलित हुआ ; और उसके पश्चात् वर्तमान अपीलार्थियों ने षड्यंत्र रचा और काकोलत के निकट मृतक की हत्या कर दी । विचारण न्यायालय ने प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को नकारते हुए अभि. सा. 16 के संपूर्ण परिसाक्ष्य पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि तात्पर्यित हेतु तथा अभि. सा. 16 द्वारा अपराध में आलिप्त करने वाली सामग्री की शनाख्त से भी अपीलार्थियों की दोषिता सिद्ध होती है । जबकि विचारण न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए मामले में कुछ विसंगतियां हैं, किंतु उन्हें "तुच्छ ब्योरे" और छुट-पुट विरोधाभास अभिनिर्धारित किया गया था ।

16. विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि अपीलार्थी सं. 1 ने

ऐसा व्यवहार प्रदर्शित किया था जिसे सामान्य नहीं समझा जा सकता है । अपीलार्थी सं. 1 द्वारा अभि. सा. 1 और अभि. सा. 5 को उस समय दिए गए मिथ्या और अस्पष्ट उत्तरों की भी न्यायिक अवेक्षा की गई थी जब उन्होंने मृतक के ठौर-ठिकाने के बारे में पूछताछ की थी । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि साक्ष्य की श्रृंखला में की विभिन्न कड़ियों को समाधानपूर्वक साबित किया गया है, इसलिए अपीलार्थी सं. 1 द्वारा दिए गए मिथ्या स्पष्टीकरण का अर्थ साक्ष्य की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में लगाया जा सकता है, जिससे अभियोजन के पक्षकथन को अधिक समर्थन मिल जाता है । न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि जब पूछताछ की जा रही थी, तब अरुण की तलाश करने में सहायता करने की बजाय अपीलार्थी सं. 1 फरार हो गया था और उसने केवल तारीख 18 अप्रैल, 1987 को तब न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण किया था जब उसकी उपसंजाति को बाध्य करने के लिए प्रपीड़क उपाय किए गए थे । अंततः, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा ली गई प्रतिरक्षा पर विश्वास न करके यह राय व्यक्त की कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अभियोजन पक्ष के अभिकथनों से सरासर इनकार करना और कुछ नहीं अपितु स्वयं को "विधिक दंड की कठोरता" से बचाने का प्रयत्न है । इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रस्तुत मामले में पारिस्थितिक साक्ष्य विश्वसनीय है और परिणामस्वरूप वर्तमान अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया ।

17. अपीलार्थियों ने अपनी दोषसिद्धि से असंतुष्ट होकर पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के उपरांत यह मत व्यक्त किया कि अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन के पक्षकथन को साबित करने के लिए तारीख और प्रक्रम-वार परिसाक्ष्य दिया था । उच्च न्यायालय ने इसके अतिरिक्त अपीलार्थी सं. 1 द्वारा अभि. सा. 5 को दी गई मिथ्या सूचना की बात पर भी बल दिया । उच्च न्यायालय ने इन पहलुओं पर विचार करते हुए तारीख 20 मई, 2010 के आक्षेपित निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय के निष्कर्षों की अभिपुष्टि की और

अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और उनके दंडादेश को कायम रखा ।

18. व्यथित अपीलार्थी अब इस न्यायालय के समक्ष आए हैं ।

दलीलें

19. हमने अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल को पर्याप्त विस्तार से सुना । मुख्य दलील यह है कि संपूर्ण मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है और अभिकथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं की गई थी और सभी साक्षी शिकायतकर्ता पक्ष के या तो नातेदार थे या घनिष्ठ मित्र थे । विद्वान् काउंसेल ने आगे इस बात पर बल दिया कि निचले न्यायालयों ने अभि. सा. 10 से अभि. सा. 14 के परिसाक्ष्य का अवलंब लेकर पूरी तरह से गलती की थी । जहां तक अपीलार्थी सं. 2 का संबंध है, यह दलील दी गई कि उसके विरुद्ध एकमात्र साक्ष्य शियोदनी महतो (अभि. सा. 3) और बालेश्वर प्रसाद यादव (अभि. सा. 12) का ही है । काउंसेल ने यह प्राख्यान किया कि अभि. सा. 3 ने मृतक को अपीलार्थी सं. 2 के साथ शव की बरामदगी से दो दिन पूर्व देखा था और इसलिए अभि. सा. 3 के साक्ष्य से अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं होता है । अभि. सा. 12 के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त करते हुए यह अत्यधिक अनधिसंभाव्य होने का दावा किया गया कि अभि. सा. 12 काली रात में एक लालटेन की रोशनी में अपीलार्थी सं. 2 के चेहरे को देख सका था । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि अन्वेषक अभिकरण द्वारा घटनास्थल से बरामद चाकू को न्यायालयिक परीक्षण के लिए न भेजना अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक था । इसलिए यह दलील दी गई कि निचले न्यायालयों ने अपीलार्थियों को मात्र 'अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत' के आधार पर दोषसिद्ध करके गंभीर गलती की है ।

20. निष्पक्षतापूर्वक, हम अपीलार्थी सं. 1 द्वारा किए गए एक अतिरिक्त अभिवाक् का उल्लेख कर सकते हैं जिसे इस न्यायालय के समक्ष पहली बार किया गया है । यह दावा किया गया कि घटना की तारीख को अपीलार्थी सं. 1 'किशोर' था । विद्वान् काउंसेल ने इस दावे

के समर्थन में 'विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र' के साथ-साथ बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी 'प्रवेश-पत्र' की प्रतियों का अवलंब लिया, जिनके अनुसार अपीलार्थी का जन्म तात्पर्यित रूप से तारीख 1 मार्च, 1970 को हुआ था । चूंकि घटना की तारीख 9 अप्रैल, 1987 से 11 अप्रैल, 1987 के बीच थी, इसलिए यह दलील दी गई कि अपीलार्थी की आयु उस समय 17 वर्ष थी और इसलिए वह एक किशोर था । अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने इस दावे को और पुष्ट करने के लिए हमारा ध्यान किशोर न्याय (बालकों का रखरखाव और संरक्षण) अधिनियम, 2000 तथा **अबुज़ार हुसैन** उर्फ **गुलाम हुसैन** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय की ओर आकृष्ट किया ।

21. दूसरी ओर, बिहार राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि दोषिता का समवर्ती निष्कर्ष दो न्यायालयों द्वारा अभिलेख पर के साक्ष्य की सूक्ष्म परीक्षा करके निकाला गया है जिसमें इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है । **पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु** बनाम **जॉन डेविड**[2] वाले मामले का अवलंब लेते हुए यह दलील दी गई कि पारिस्थितिक साक्ष्य के मामलों में दोषसिद्धि अनुज्ञेय है । राज्य की ओर से काउंसेल ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि प्रस्तुत मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी तरह से पूर्ण है । उन्होंने यह स्पष्ट निर्देश किया कि पहला, प्रस्तुत मामले में हेतु स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया गया है । दूसरा, दोनों निचले न्यायालयों ने समवर्ती रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि मृतक को अंतिम बार अपीलार्थियों के साथ जीवित देखा गया था । विद्वान् काउंसेल ने **राजस्थान राज्य** बनाम **काशी राम**[3] वाले मामले को यह दलील देने के लिए उद्धृत किया कि ऐसी स्थिति में जब मृतक को अंतिम बार अभियुक्तों के साथ देखा गया था, यह उपधारणा उद्भूत होती है कि उक्त अभियुक्तों ने मृतक की

---

[1] (2012) 10 एस. सी. सी. 489.

[2] (2011) 5 एस. सी. सी. 509.

[3] (2006) 12 एस. सी. सी. 254.

हत्या की थी । यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में अपीलार्थियों द्वारा इस उपधारणा का खंडन नहीं किया गया है । तीसरा, अपीलार्थियों की दोषिता का निष्कर्ष उनके आचरण से निकाला जा सकता है चूंकि उन्होंने मृतक को न केवल सिनेमा देखने के बहाने फुसलाया था, अपितु मृतक के ठौर-ठिकाने के बारे में भ्रामक सूचना भी दी थी । चौथा, अन्वेषण के दौरान किए गए अभिग्रहणों/बरामदगियों से अपीलार्थियों की अंतर्ग्रस्तता सिद्ध होती है, क्योंकि घटनास्थल से बरामद दो लुंगियों में से एक की शनाख्त अपीलार्थी सं. 1 की होने के रूप में की गई थी । पांचवां, चिकित्सीय परीक्षण से यह सिद्ध होता है कि मृतक की मृत्यु अस्वाभाविक तरीके से कारित की गई थी और छठा, जो शव बरामद किया गया था उसकी शनाख्त अरुण के शव के रूप में की गई थी ।

22. राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि सभी तात्विक साक्षियों, अभि. सा. 1 से अभि. सा. 14, ने एक-दूसरे के ब्यानों की संपुष्टि की है । **सुखड़** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] और **बदरुद्दीन रुकन्द्दीम कारकुडे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] वाले मामलों में के विनिश्चयों का अवलंब लेते हुए यह दलील दी कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में संबंधित तथ्य और कार्य (रेस जेस्टई) का सिद्धांत लागू होता है और एक साक्षी द्वारा दूसरे साक्षी को किए गए कथन साक्ष्य में ग्राह्य हैं । उन्होंने यह भी दलील दी कि प्रस्तुत मामले में शनाख्त परेड का अभाव अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं होगा । (**मल्खान सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[3] वाला मामला देखें) ।

23. जहां तक अपीलार्थी सं. 1 के इस न्यायालय के समक्ष पहली बार किए गए इस अभिवाक् का संबंध है कि वह किशोर था, राज्य की ओर से काउंसेल द्वारा जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि अपीलार्थी सं. 1 ने यह अभिवाक् करने के लिए जानबूझकर पूरी तरह से यह जानते हुए इस विलंबित समय तक प्रतीक्षा की कि न्यायालय द्वारा जांच का आदेश देने की स्थिति में उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए

---

[1] (1999) 9 एस. सी. सी. 507.

[2] (1981) सप्ली. एस. सी. सी. 1.

[3] (2003) 5 एस. सी. सी. 746.

दस्तावेजों का खंडन करने के लिए कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं होगा । उन्होंने अपीलार्थी सं. 1 द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में की कतिपय स्पष्ट विसंगतियों का भी उल्लेख किया, उदाहरण के लिए दस्तावेजों पर उसका नाम नहीं है अपितु इसकी बजाय 'सूर्यदेव प्रसाद' नामक व्यक्ति का नाम वर्णित है । काउंसेल ने अपने तर्कों को अग्रसर करते हुए यह दलील दी कि तात्प्रयित दस्तावेजों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के निबंधनों के अनुसार साबित नहीं किया गया है और इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता था । हमारा ध्यान **रविन्द्र सिंह गोरखी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय की ओर दिलाया गया, जिसमें किशोरता के अभिवाक् को नामंजूर कर दिया गया था क्योंकि, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अभिवाक् करने में अत्यधिक विलंब किया गया था और उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था ।

विश्लेषण

24. हम यह पाते हैं कि इस अपील में हमारे विचार के लिए दो प्रश्न उद्भूत होते हैं - (क) क्या प्रस्तुत मामले में पेश किया गया पारिस्थितिक साक्ष्य इतना अकाट्य है कि इससे अपीलार्थियों की दोषिता किसी युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध होती है ? (ख) क्या अपीलार्थी सं. 1 घटना की तारीख को एक किशोर था ?

25. प्रारंभ में यह रेखांकित किया जा सकता है कि यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन इस न्यायालय में निहित शक्तियां व्यापक हैं, तो भी यह न्यायालय विशेष इजाजत लेकर फाइल की गई किसी दांडिक अपील में साक्ष्य का नए सिरे से पुनर्मूल्यांकन करने के लिए सामान्य तौर पर अनिच्छुक होगा और जब तथ्य संबंधी समवर्ती निष्कर्ष हो तब सिवाय कतिपय आपवादिक परिस्थितियों के साक्षियों की विश्वसनीयता को प्रश्नगत नहीं करेगा । जबकि, सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाला कोई नियम अधिकथित करना कठिन है, तो भी बारम्बार इस बात की अभिपुष्टि की गई है कि वहां के सिवाय जहां उच्च न्यायालय

---

[1] (2006) एस. सी. सी. 584.

का निर्धारण विधि या प्रक्रिया की गलती द्वारा दूषित है या साक्ष्य के गलत पठन पर आधारित है या साक्ष्य के विसंगत है और इस प्रकार एक अनुचित निष्कर्ष निकाला गया है, यह न्यायालय निचले न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से प्रविरत रहेगा ।

26. ऐसे स्व-अधिरोपित अवरोध पर ध्यान दिए बिना और न्याय के हित में हमने परस्पर विरोधी दलीलों पर गहराई से विचार किया है और यह अभिनिश्चित करने के लिए अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य का परिशीलन और विचार-विमर्श किया है कि क्या दोषसिद्धि का समवर्ती निष्कर्ष किसी अनुचितता से ग्रसित है या नहीं और/या क्या अपीलार्थियों की दोषसिद्धि विधिक रूप से और तथ्यात्मक रूप से संधार्य है या नहीं ।

क. **क्या अभियुक्तों की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया गया है ?**

27. इस न्यायालय ने **सरद बिरधीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले अपने अति प्रतिष्ठित निर्णय में पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि अभिलिखित करने के लिए आवश्यक मानक पर विस्तारपूर्वक विचार किया था और यह अभिनिर्धारित किया था :–

> "153. * * * *
>
> (1) वे परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिएं ।
>
> * * * *
>
> (2) इस प्रकार सिद्ध किए गए तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की कल्पना के अनुरूप होने चाहिए अर्थात् इस बात के सिवाय कि अभियुक्त दोषी है, किसी अन्य कल्पना के पोषक नहीं होने चाहिए ;
>
> (3) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं ;

---

[1] [1985] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116.

(4) उन्हें साबित की जाने वाली हर उप-कल्पना के सिवाय हर संभावित उप-कल्पना अपवर्जित करनी चाहिए ; और

(5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न बचे और उससे यह दर्शित हो कि संपूर्ण मानवीय संभावना में वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा ।"

इन पांच मूलभूत सिद्धांतों को **मोहम्मद यूनुस अली तरफदार** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[1] और **आर. दामोदरन** बनाम **राज्य, पुलिस निरीक्षक की मार्फत**[2] वाले मामलों में हाल ही के विनिश्चयों सहित अनेक अवसरों पर दोहराया गया है । इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए अब हम प्रस्तुत मामले की परीक्षा करेंगे ।

28. हमें यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थियों की दोषिता के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है : (i) अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत ; (ii) हेतु ; और (iii) दी गई मिथ्या सूचना और अपीलार्थियों का पश्चात्वर्ती आचरण ।

(i) **अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत**

29. प्रस्तुत मामले में अभियोजन का पक्षकथन बहुत अधिक 'अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत' पर आधारित है । संक्षेप में, अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत वहां लागू होता है जहां उस समय जब अभियुक्त और मृतक अंतिम बार एक साथ देखे गए थे और जब विपदग्रस्त मृत पाया जाता है, के बीच समय का अंतराल इतना कम है कि अपराध का अपराधी होने के लिए अभियुक्त के बजाय किसी अन्य व्यक्ति की संभाव्यता असंभाव्य हो जाती है । "अंतिम बार जीवित देखे जाने" के सिद्धांत को **सतपाल** बनाम **हरियाणा राज्य**[3] वाले मामले में इस

---

[1] (2020) 3 एस. सी. सी. 747.

[2] (2021) एस. सी. सी. ऑन लाइन एस. सी. 134.

[3] (2018) 6 एस. सी. सी. 610.

न्यायालय की एक तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने सविस्तार प्रतिपादित करते हुए, तथापि, यह चेतावनी दी थी कि अंतिम बार देखे जाने के तथ्य की संपुष्टि किसी अन्य साक्ष्य द्वारा हुए बिना यह तथ्य कि मृतक अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था, स्वत: केवल एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य होगा । इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया :–

> ".....संक्षिप्त और स्पष्ट रूप में कहा जाए, तो यह साक्ष्य केवल इसी एकल साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि करने के लिए स्वत: एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य हो सकता है । किंतु जब इस साक्ष्य के साथ अन्य परिस्थितियां भी हों, जैसे वह समय जब मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था और शव की बरामदगी उस समय के बहुत ही निकट की गई थी, तो अभियुक्त पर उस परिस्थिति के संबंध में जिसके अधीन मृत्यु हो सकती थी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन स्पष्टीकरण देने के लिए दायित्वाधीन है । यदि अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या गलत स्पष्टीकरण देता है, फरार हो जाता है, हेतु को सिद्ध किया जाता है और परिस्थितियों की श्रृंखला का गठन करने के लिए ऐसा संपुष्टिकारी साक्ष्य, अन्य बातों के साथ-साथ, बरामदगी या अन्यथा के रूप में उपलब्ध है जिससे केवल अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष निकलता है और निर्दोषिता की किसी संभाव्य परिकल्पना के असंगत है, तो ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है । यदि कोई संदेह हो या परिस्थितियों की श्रृंखला की कड़ी में दरार है, तो संदेह का फायदा अवश्य अभियुक्त को मिलना चाहिए । इसलिए इस सिद्धांत का अवलंब लेने के लिए प्रत्येक मामले की परीक्षा उसके स्वयं के तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए ।"

30. हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि अंतिम बार देखे जाने के तथ्य का अवलोकन एकाकी रूप में नहीं किया जाना चाहिए या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य साक्ष्य से अलग नहीं किया जाना चाहिए । बल्कि अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत को

अभियोजन के संपूर्ण पक्षकथन पर विचार करके लागू किया जाना चाहिए । अत: न्यायालयों को न केवल अंतिम बार देखे जाने के तथ्य पर विचार करना चाहिए, अपितु उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो मृतक को अभियुक्त की मौजूदगी में अंतिम बार देखे जाने के समय से पूर्व और पश्चात् की थी ।

31. प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष ने निस्संदेह यह सिद्ध किया है कि मृतक को अपीलार्थियों के साथ अंतिम बार जीवित देखा गया था और उन घटनाओं के बारे में भी साक्ष्य प्रस्तुत किया है जो उसे अंतिम बार देखे जाने से लेकर उसके पश्चात् तक की हैं । अभि. सा. 2, अभि. सा. 3-क, अभि. सा. 16 और अभि. सा. 17 के अभिसाक्ष्यों से यह सुझाव मिलता है कि अंतिम बार देखे जाने के समय से पूर्व मृतक सतत् रूप से अपीलार्थी सं. 1 के साथ था । अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 वे व्यक्ति हैं जिन्होंने तारीख 9 अप्रैल, 1987 को मृतक को अंतिम बार जीवित देखा था और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया था कि उन्होंने मृतक को अपीलार्थियों के साथ देखा था । यद्यपि अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 10 से 14 के अभिसाक्ष्यों के माध्यम से उन घटनाओं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है जो अंतिम बार देखे जाने के समय के पश्चात् घटी थी ।

32. यह दलील कि अधिकांश अभियोजन साक्षी या तो शिकायतकर्ता पक्ष के नातेदार थे या उनके साथ घनिष्ठ संबंध थे और किन्हीं स्वतंत्र साक्षियों द्वारा संपुष्टि के अभाव में उनके परिसाक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता था, हमारी राय में, यह दलील बहुत ही सारहीन है । यह सामान्य विधि है कि अभियोजन पक्ष का कार्य वह सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत करना है जो अन्वेषण के दौरान एकत्रित किया जाता है । यद्यपि यह एक आदर्श बात है कि अभियोजन के पक्षकथन को स्वतंत्र साक्षियों के माध्यम से भी सिद्ध किया जाए किंतु प्रत्येक मामले में तृतीय-पक्षकारों की मौजूदगी की प्रत्याशा करना अयुक्तियुक्त होगा । इस न्यायालय ने सतत् रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन के पक्षकथन को मात्र इस कोरे अभिवाक् के आधार पर

त्यक्त नहीं किया जा सकता है कि सभी साक्षी शिकायतकर्ता पक्ष के नातेदार हैं । अत: स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न कराए जाने के विरुद्ध एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए अवश्य यह भी दर्शित किया जाना चाहिए कि यद्यपि सर्वोत्तम साक्ष्य उपलब्ध तो था किंतु अभियोजन पक्ष द्वारा इसे विधारित कर लिया गया था ।

33. इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 3 ने अरुण और अपीलार्थियों को कुंभरावन गांव की सीमा पर देखा था, जबकि अभि. सा. 4 ने अरुण और अपीलार्थियों को अपीलार्थी सं. 2 के मकान के अंदर देखा था । इन साक्षियों में से किसी ने भी मृतक और अपीलार्थियों को किसी सार्वजनिक स्थान पर देखे जाने का दावा नहीं किया था । इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकालना असंगत होगा कि इस घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं था । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 दोनों का अभिसाक्ष्य स्वाभाविक प्रतीत होता है और उनकी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे हमारे द्वारा उनके परिसाक्ष्यों पर अविश्वास किया जाए ।

34. अपीलार्थियों की ओर से काउंसेल ने फिर अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत को प्रश्नगत किया और यह दलील दी कि यदि अभि. सा. 3 के अभिसाक्ष्य को सत्य मान लिया जाए, तो भी उसने अरुण को अपीलार्थियों के साथ तारीख 9 अप्रैल, 1987 को देखा था जो शव की बरामदगी से दो दिन पूर्व की बात थी । अत: यह दलील दी गई कि दो घटनाओं के बीच की मध्यवर्ती समयावधि से किसी तृतीय पक्षकार द्वारा घटना कारित करने की संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसलिए परिस्थितियों की एक सतत् श्रृंखला नहीं थी । जबकि यह दलील पहली बार में आकर्षक प्रतीत होती है किंतु जब इस पर स्वतंत्र साक्षियों, अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8, द्वारा दिए गए परिसाक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाए तो यह पूर्ण रूप से अविश्वसनीय हो जाती है । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि दोनों अपीलार्थियों ने तारीख 9 अप्रैल, 1987 की रात्रि में हत्या कारित की थी । अभि. सा. 8, जिसने तारीख 11 अप्रैल, 1987 को अरुण के शव को ढूंढ़ा था, ने यह

अभिसाक्ष्य दिया था कि उसने पूर्ववर्ती रात्रि में ही शव के बारे में अफवाह सुनी थी, तथापि, अंधेरा और जंगली क्षेत्र होने के कारण वह केवल अगले दिन ही घटनास्थल पर जा सका था । इस बात को देखते हुए कि शव घटनास्थल पर कम से कम तारीख 10 अप्रैल, 1987 से पड़ा था, यह अपराध तारीख 10 अप्रैल, 1987 को या इससे पूर्व कारित किया गया हो सकता है । प्रस्तुत मामले में चिकित्सा साक्ष्य से भी अभियोजन का वृत्तांत सुदृढ़ होता है । अभि. सा. 6, डाक्टर ने मृतक के शव का परीक्षण तारीख 12 अप्रैल, 1987 को किया था । उसकी राय में, अरुण की मृत्यु होने से लेकर व्यतीत हुआ समय 36 से 72 घंटे का था । इस प्रकार, चिकित्सीय साक्ष्य से अभियोजन पक्ष की इस कहानी की संपुष्टि होती है कि हत्या तारीख 9 अप्रैल, 1987 को हुई थी । हमने यह भी पाया है कि निचले न्यायालयों ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया था और यह अभिनिर्धारित किया था कि मृतक की हत्या वास्तव में तारीख 9 अप्रैल, 1987 को हुई थी । हम प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाने के लिए कोई कारण नहीं पाते हैं ।

35. राज्य की ओर से काउंसेल द्वारा **काशी राम** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का यह प्राख्यान करने के लिए अवलंब लेना सही प्रतीत होता है कि जब एक बार अंतिम बार देखे जाने का तथ्य सिद्ध हो जाता है, तो अभियुक्त को अवश्य उन परिस्थितियों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए जिनमें वह मृतक के संगति से अलग हुआ था । विधि की इस स्थिति पर, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत आती है, **सतपाल सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में सम्यक् रूप से विचार किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि यदि अभियुक्त कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है, तो अभियुक्त के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है । प्रस्तुत मामले में भी, अपीलार्थी सं. 1 उन परिस्थितियों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका था जिनमें वह मृतक की संगति से अलग हुआ था ।

36. जहां तक अभि. सा. 10 से अभि. सा. 14 के अभिसाक्ष्यों की

विश्वसनीयता का संबंध है, मुख्य दलील यह है कि अभि. सा. 12 के सिवाय अन्य कोई साक्षी वर्तमान अपीलार्थियों की शनाख्त करने में समर्थ नहीं हो सका था । यह भी दलील दी गई कि अभि. सा. 12 का परिसाक्ष्य संदेहास्पद प्रतीत होता है क्योंकि यह अत्यधिक अनधिसंभाव्य है कि साक्षी एक लैंप की रोशनी में अपीलार्थी सं. 2 को देखने में समर्थ था । यह धारणा कर ली जाए कि अभि. सा. 10, अभि. सा. 11, अभि. सा. 13 और अभि. सा. 14 के अभिसाक्ष्यों का प्रस्तुत मामले में इतना अधिक महत्व नहीं है, तो भी यह प्रश्न कि क्या अभि. सा. 12 अपीलार्थी सं. 2 की शनाख्त कर सका था या नहीं कर सका था, विशुद्ध रूप से एक तथ्यात्मक प्रश्न है और निचले न्यायालयों ने इसके संबंध में एक-जैसा दृष्टिकोण अपनाया है । यह कहना पर्याप्त होगा कि अभि. सा. 12 अपीलार्थी सं. 2 की शनाख्त उसके चेहरे पर चेचक के चिह्न होने के कारण कर सका था । यहां तक कि पुलिस द्वारा अभिलिखित किए गए आरंभिक कथन में भी अभि. सा. 12 ने यह कहा था कि दो व्यक्तियों में से एक के चेहरे पर चेचक के धब्बे थे, जिसका तारीख 9 अप्रैल, 1987 की रात्रि में उससे आमना-सामना हुआ था ।

37. अभियोजन के संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत और अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए आधारों पर सभी संभाव्य सीमा तक चिंतन-मनन करने के उपरांत हम अपीलार्थियों के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत के वृत्तांत पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाते हैं ।

(ii) **हेतु**

38. यदि किसी मामले में अभियुक्त (अभियुक्तों) का हेतु होने का आरोपण किया जाता है और उसके पश्चात् इसे साबित कर दिया जाता है, तो उक्त अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किए जाने की संभाव्यता बढ़ जाती है । यही कारण है कि प्रबल पारिस्थितिक साक्ष्य के मामलों में हेतु का सबूत एक महत्वपूर्ण संपुष्टिकारी साक्ष्य होगा तथा साक्ष्य की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी का गठन करेगा ।

39. इस मामले में अपीलार्थियों पर आरोपित हेतु यह है कि उन्होंने

मृतक की हत्या इसलिए की थी क्योंकि उसके अभिकथित रूप से अपीलार्थी सं. 1 की बहिन रीटा के साथ अयुक्त संबंध थे । जबकि साक्षियों में से किसी ने भी मृतक के रीटा के साथ संबंध होने के बारे में विनिर्दिष्ट रूप से अभिसाक्ष्य नहीं दिया है, इसलिए अभि. सा. 1, अभि. सा. 3क और अभि. सा. 16 के अभिसाक्ष्य से यथा अभिकथित हेतु की थोड़ी-सी भी संपुष्टि नहीं होती है । अभि. सा. 3क के परिसाक्ष्य से यह प्रकट होता है कि आरंभ में अपीलार्थी सं. 1 और मृतक के परिवार के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे किंतु फरवरी माह के पश्चात् कटु हो गए थे । अभि. सा. 1, जो उसी गांव का निवासी है, ने अभि. सा. 3क के परिसाक्ष्य की संपुष्टि की है । अभि. सा. 16 ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया था कि मृतक के रीटा के साथ अयुक्त संबंध होने के बारे में एक पंचायत बुलाई गई थी ।

40. मृतक के अपीलाथी सं. 1 की बहिन के साथ संबंध होने के तथ्य को वास्तव में संदेह के परे सिद्ध नहीं किया गया है किंतु पंचायत बुलाया जाना जिससे कि मुद्दा नियंत्रण से बाहर न हो जाए, ऐसा तथ्य है जिससे यह सुझाव मिलता है कि अपीलार्थी सं. 1 मृतक को समाप्त करने के लिए हेतु रखे हुए था । हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि ये घटनाएं वर्ष 1987 में घटी थीं, जब भारतीय ग्रामीण समाज अपरिवर्तनीय रूप से रूढ़िवादी था और विवाहेत्तर संबंध होने की जरा-सी भी अफवाह तनाव को बढ़ा सकती थी । इन जमीनी हकीकतों पर विचार करते हुए हमारी राय में, विचारण न्यायालय ने ठीक ही यह अभिलिखित किया था कि अभियोजन पक्ष द्वारा यथा अभिकथित हेतु को पर्याप्त रूप से साबित किया गया है । हमने भी यह पाया है कि अपीलार्थियों की ओर से काउंसेल ने हेतु के प्रश्न पर कोई भरपूर चुनौती नहीं दी है और इसलिए हमें हेतु के प्रश्न पर अपीलार्थी सं. 1 के अभ्यारोपण में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है ।

(iii) **अपीलार्थी सं. 1 द्वारा मिथ्या सूचना दिया जाना और उसका पश्चात्वर्ती आचरण**

41. हम अब अपीलार्थी सं. 1 द्वारा अभि. सा. 1 और अभि. सा.

5 को दी गई मिथ्या सूचना पर संक्षेप में विचार कर सकते हैं । ये दोनों साक्षी तारीख 10 अप्रैल, 1987 को एक-एक करके अपीलार्थी सं. 1 से मिले थे और उन दोनों ने अरुण के ठौर-ठिकाने के बारे में पूछताछ की थी । अपीलार्थी सं. 1 ने अभि. सा. 1 से झूठ बोला और उसे बताया कि सिनेमा देखने के पश्चात् अरुण अकेला अम्वा चला गया था जबकि अपीलार्थी सं. 2 दोप्टा जाने के लिए चला गया था । यहां तक कि अधिक विचित्र बात यह है कि अपीलार्थी सं. 1 ने अभि. सा. 5 को बताया था कि अरुण दिल्ली चला गया है । हमें यह स्पष्ट हो गया है कि अपीलार्थी सं. 1 द्वारा दी गई मिथ्या सूचना जो तलाशी के प्रयास किए जा रहे थे उनको भटकाकर अपनी दोषिता को छिपाने के लिए एक प्रयत्न था । अपीलार्थी सं. 1 उसके पश्चात् फरार हो गया था और केवल प्रपीड़क उपाय करने के पश्चात् ही न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण किया था । इस प्रकार, हम राज्य की ओर से काउंसेल की इस दलील से सहमत हैं कि अपीलार्थी सं. 1 द्वारा दी गई मिथ्या सूचना और घटना के पश्चात् का उसका आचरण अपराध में आलिप्त करने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी को साबित करने के लिए सुसंगत है ।

42. यहां, तथापि, प्रकाश महतो (अपीलार्थी सं. 2) के विरुद्ध आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य में एक गुणात्मक फर्क है । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि वह अपीलार्थी सं. 1 था, जिसने मृतक को फुसलाया था और उसे उक्त अपीलार्थी के साथ सिनेमा देखने के लिए मनाया था । यह न तो अभियोजन का पक्षकथन है और न ही अभियोजन साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी सं. 2 तारीख 5 अप्रैल, 1987 को मृतक का उसके मकान से फुसलाकर अपहरण करने में अंतर्ग्रस्त था । इसे अपराध के पीछे के हेतु के संदर्भ में देखा जाना चाहिए । यह अभिलेख पर साबित है कि अपीलार्थी सं. 1 का अभियुक्त के विरुद्ध अपना स्वार्थ था, जिसके अभिकथित रूप से उसकी बहिन के साथ अयुक्त संबंध थे । ऐसा कोई अभिकथित हेतु नहीं है या साबित नहीं किया गया है जिसने अपीलार्थी सं. 2 को मृतक की हत्या कारित करने

के लिए प्रभावित किया होता । इसके अतिरिक्त भी, अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था कि तारीख 8 अप्रैल, 1987 को या इससे पूर्व अपीलार्थी सं. 1 और अपीलार्थी सं. 2 के बीच किसी प्रकार का मस्तिष्कों का मिलन था या यह कि उन्होंने अरुण की हत्या करने के लिए एक-साथ कोई षड्यंत्र रचा था । अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं है जिससे यह सुझाव मिलता हो कि अपीलार्थी सं. 1 ने मृतक अरुण की हत्या करने के लिए अपने आशय को अपीलार्थी सं. 2 को प्रकट किया था ।

43. यह सही है कि अभियोजन पक्ष ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है उसमें अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के कथन समाविष्ट हैं, जिन्होंने मृतक को तारीख 9 अप्रैल, 1987 को अंतिम बार अपीलार्थी सं. 1 और अपीलार्थी सं. 2 के साथ जीवित देखा था । तथापि, जब तक अंतिम बार देखे जाने की कहानी को घटनाओं की अटूट श्रृंखला का गठन करने के लिए अन्य पारिस्थितिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता है, दोषसिद्धि केवल इस आधार पर आधारित नहीं हो सकती है कि अपीलार्थी सं. 2 भी उस समय अपीलार्थी सं. 1 के साथ था जब वे तारीख 9 अप्रैल, 1987 को एक-साथ देखे गए थे ।

44. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि घटनास्थल से अपराध में आलिप्त करने वाली कुछ सामग्री, जिसमें एक जोड़ी चप्पल, एक रूमाल, एक चाकू, जैरीकेन और दो लुंगियां अंतर्विष्ट हैं, पाई गई थीं और इन्हें अभिगृहीत किया गया था । जबकि अभि. सा. 16 अर्थात् मृतक के पिता ने अभिगृहीत लुंगियों में से एक लुंगी की शनाख्त अपीलार्थी सं. 1 की होने के रूप में की थी, किंतु बरामद की गई वस्तुओं में से किसी का आरोपण अपीलार्थी सं. 2 पर नहीं किया गया है । अपीलार्थी सं. 2 के विरुद्ध एकमात्र सारभूत साक्ष्य यह है कि वह भी तारीख 9 अप्रैल, 1987 को मृतक और अपीलार्थी सं. 1 के साथ था अर्थात् वे अंतिम बार एक-साथ देखे गए थे । यदि हम यह उपधारणा भी करें कि तारीख 9 अप्रैल, 1987 की रात्रि में अपीलार्थी सं. 2 की शनाख्त करने का अभि. सा. 12 का अभिसाक्ष्य सही है, तो भी ऐसे साक्ष्य से मृतक की हत्या कारित

करने में अपीलार्थी सं. 2 की अंतर्ग्रस्तता के संबंध में एक प्रबल संदेह पैदा हो सकता है, किंतु फिर उसकी दोषिता को किसी संदेह के परे साबित करने के लिए मात्र संदेह को अकाट्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

45. इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी सं. 1 के विरुद्ध प्रस्तुत घटना के पश्चात् का पारिस्थितिक साक्ष्य है, अर्थात् उसने मृतक के ठौर-ठिकाने को प्रकट नहीं किया था और इसके पश्चात् वह अचानक न्यायालय में अभ्यर्पण किए जाने तक घटनास्थल से गायब हो गया था । टालमटोल करने या घटना के पश्चात् फरार हो जाने के संबंध में ऐसा कोई अभिकथन अपीलार्थी सं. 2 के विरुद्ध नहीं किया गया है । इस प्रकार, जहां तक अपीलार्थी सं. 2 का संबंध है, अभियोजन के पक्षकथन में की कड़ियां गायब हैं । परिणामत: और पूर्व उल्लिखित कारणों से, हमारा यह निष्कर्ष है कि प्रकाश महतो (अपीलार्थी सं. 2) का मामला सूरजदेव महतो (अपीलार्थी सं. 1) के मामले से प्रभेदनीय है और अभियोजन पक्ष अपीलार्थी सं. 2 की दोषिता को संदेह के परे साबित करने में समर्थ नहीं रहा है । इस प्रकार, अपीलार्थी सं. 2 संदेह के फायदे का हकदार है ।

ख. **अपीलार्थी सं. 1 का किशोरता का अभिवाक्**

46. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में किशोरता के दावे का अवधारण करने के लिए न्यायालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया उपवर्णित है । इसका परंतुक "किसी न्यायालय" के समक्ष और "किसी प्रक्रम" पर, यहां तक कि मामले का अंतिम रूप से निपटारा होने के पश्चात् भी, किशोरता का दावा करने के लिए समर्थ बनाता है । तथापि, पूर्वोक्त उपबंध का लाभ लेने के लिए अपराध के कारित करने की तारीख को किशोरता को प्रथमदृष्ट्या साबित करने हेतु कुछ तर्कपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने का आरंभिक भार अभियुक्त पर डाला गया है ।

47. प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थी सं. 1 ने किशोरता का अभिवाक् पहली बार इस न्यायालय के समक्ष किया है । उसने हमारे समक्ष एक

विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र के साथ-साथ बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया एक प्रवेश-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें अपीलार्थी सं. 1 के जन्म की तारीख 1 मार्च, 1970 होने का दावा किया गया है । यह प्रख्यान किया गया कि घटना के समय पर अपीलार्थी सं. 1 की आयु 17 वर्ष थी । अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने हमारा ध्यान **अबूज़ार हुसैन** (उपर्युक्त) वाले मामले में के विनिश्चय की ओर भी आकृष्ट किया, जिसमें इस न्यायालय ने किशोर न्याय अधिनियम के उपबंधों और व्याप्ति पर विस्तारपूर्वक विचार किया था और निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

> "किस सामग्री से न्यायालय का प्रथमदृष्ट्या समाधान होगा और/या आरंभिक भार का निर्वहन करने के लिए क्या सामग्री पर्याप्त हैं, इसकी सूची नहीं बनाई जा सकती है और न ही यह अधिकथित किया जा सकता है कि किसी विनिर्दिष्ट साक्ष्य को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, जो किशोरता की उपधारणा करने के लिए पर्याप्त हो सके किंतु नियम 12(3)(क)(i) से (iii) में निर्दिष्ट दस्तावेज नियम 12 के अधीन आगे जांच करने की आवश्यकता के लिए अपराधी की आयु के बारे में न्यायालय का प्रथमदृष्ट्या समाधान करने हेतु निश्चित रूप से पर्याप्त होंगे । संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित कथन बहुत ही अनंतिम होता है और किशोरता के दावे को न्यायोचित ठहराने या नामंजूर करने के लिए मामूली तौर पर स्वयमेव पर्याप्त नहीं हो सकता है । <u>दोषसिद्धि के पश्चात् अभिप्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र या मतदाता सूची आदि जैसे दस्तावेजों की विश्वसनीयता और/या स्वीकार्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी और ऐसा कोई कठोर नियम विहित नहीं किया जा सकता है कि उन्हें अवश्य प्रथमदृष्ट्या स्वीकार या नामंजूर किया जाना चाहिए</u> .....।"
>
> (बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

48. जब अपीलार्थी सं. 1 द्वारा अवलंब लिए गए दस्तावेजों का

इन स्थिर सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में विश्लेषण किया जाए, तो हमारा यह निष्कर्ष है कि इनसे कोई विश्वास पैदा नहीं होता है । अपीलार्थी सं. 1 का नाम दस्तावेजों में प्रकट नहीं होता है, इसके बजाय ये दस्तावेज 'सूर्यदेव प्रसाद' के हैं । अपीलार्थी सं. 1 द्वारा अवलंब लिए गए इन दो दस्तावेजों की सत्यता का इस अत्यधिक विलंबित प्रक्रम पर सत्यापन करना लगभग असंभव है । इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह सुझाव मिलता है कि अपीलार्थी सं. 1 का नाम 'सूरजदेव महतो' है न कि 'सूर्यदेव प्रसाद' । किसी ऐसी सटीक सामग्री के अभाव में जिससे यह उपदर्शित होता हो कि ये दस्तावेज केवल अपीलार्थी सं. 1 के हैं, कोई तथ्यपरक जांच करने का कोई मामला नहीं बनता है । परिणामत:, हम प्रश्नगत दस्तावेजों का अवलंब लेने से इनकार करते हैं और अपीलार्थी सं. 1 द्वारा किए गए किशोरता के अभिलेख को नामंजूर करते हैं ।

निष्कर्ष

49. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत अपील भागत: मंजूर की जाती है । सूरजदेव महतो (अपीलार्थी सं. 1) की दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखा जाता है और उसके संबंध में अपील खारिज की जाती है, अपीलार्थी सं. 2 (प्रकाश महतो) को आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत किए गए जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और उसे शेष दंडादेश भुगतने के लिए अभ्यर्पण करने का निदेश दिया जाता है । अपीलार्थी सं. 2 के जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

जस.